न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/21

मिसलनम्बर– 02 / 2023

1.राजाराम चौबदार पुत्र श्री किशन गोपाल
2.कमला बाई पत्नी श्री राजाराम जातियान चौबदार निवासीगण 570 बी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

1.तिलकराज पुत्र श्री राजाराम जाति चौबदार निवासी 570 बी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा
2.कमलेश बाई पत्नी श्री तिलकराज जाति चौबदार निवासी 570 बी संजय नगर विज्ञान नगर कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक....30/1/24.

उपस्थितिः–

1.श्री धीरज कुमार जैन प्रार्थीगण अधिवक्ता।
2.श्री मुकेश लोधा अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् पत्रावली निर्णय प्रार्थना–पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीपक्ष द्वारा निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण दोनो सिनीयर सिटीजन है वह बेसहारा है जो मेहनत महदूरी कर अपना व अपने मंदबुद्धी पुत्र ओमप्रकाश और बंटी का पालन पोषण कर रहे है। प्रार्थीगण का एक पुत्र मंदबुद्धि है जिसका पालन–पोषण प्रार्थीगण व बमुश्किल मेहनत मजदूरी कर रहे हैं जबकि अप्रार्थी क्रम–1 को प्रार्थीगण द्वारा सर्वप्रथम आंवली रोझड़ी में प्लाट जैसे तैसे पैसे इकठ्ठे करके दिलवाया तथा तत्पश्चात् अप्रार्थीगण ने उस प्लॉट को बेचकर प्राप्त सम्पूर्ण राशि का अपने पास रख लिया तथा उक्त प्लॉट का बैचान भी प्रार्थीगण की जानकारी के बिना कर दिया। इसी प्रकार प्रार्थीगण द्वांरा अप्रार्थीगण के भविष्य को ध्यान में रखते हुये दुकान अप्रार्थीगण को डलवाई थी, तथा उसका सम्पूर्ण पैसा भी प्रार्थीगण ने ही वहन किया था इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को पुनः यानिकी तृतीय बार प्लॉट खरीदने हेतु करीब 3,00,000 / – रूपये इधर उधर से इंतजाम करके दिये थें, जिससे अप्रार्थीगण ने जय श्री विहार प्रथम में प्लॉट लिया है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम से ही है जबकि उसे प्राथीगण के नाम खरीदा गया था, लेकिन चालाकी से अप्रार्थीगण ने अपने नाम करवा लिया। प्रार्थीगण द्वारा अपने व अपने परिवार के निवास हेतु एक मकान संजय नगर में बनवाया था, जिसमें भी 9 कमरे है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ मारपीट व गाली गलोच करते हुये प्रार्थीगण व उनके मंदबुद्धि पुत्र को मात्र एक छोटे से कमरे में रख रखा है तथा अन्य सम्पूर्ण कमरो पर अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर रखा है जो कि अनुचित है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण व उनके मंदबुद्धि पुत्र की कोई सार संभाल नही करते है तथा ना ही किसी

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

त्यौहार पर उनसे सम्पर्क करते है बल्कि उनके साथ मारपीट करके सम्पूर्ण मकान को उन्हें भगाकर या उनकी मृत्यु करके कब्जा करने पर अमादा है। प्रार्थीगण द्वारा जब मकान को छोडकर अन्य जगह निवास करने हेतु तैयारी की गई तथा उक्त मकान के कागजो की सार संभाल की गई तो पता चला की प्रार्थीगण द्वारा मकान के कागज सुरक्षित रखे गये थे, व उस स्थान पर निम्न है अप्रार्थीगंण द्वारा उनका भी दुरूपयोग कर लिया गया है। जिसका भी संदेह है। प्रार्थीगण दोनो सिनीयर सिटीजन है जो जैसे तैसे अपना व अपने मंदबुद्धि पुत्र का पालन–पोषण कर रहे है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा विभिन्न तरीके से कार्य व रोजगार कर आमदनी की जा रही है तथा प्रार्थीगण द्वारा दिलवाई गई प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्तियो का भी पैसा अप्रार्थीगण के पास ही है, तथा प्रार्थीगण के पास कोई निश्चित आय का साधन नही है जबकि अप्रार्थीगण उनका भरण पोषण करने में पूर्णतः सक्षम है तथा प्रार्थीगण को स्वंय के भरण पोषण हेतू 5,000–5.000/– रूपये अप्रार्थीगण से दिलवाये जाना आवश्यक है ताकि प्राथीगण अपना जीवन सहज रूप से यापन कर सके। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र को केस रजिस्टर दर्ज कर मुलजिमान को जर्ये गिरफ्तारी वारण्ट से तलब किया जावे। और अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण के मकान को कब्जा मुक्त करवाया जाये और उनकी मासिक आय से प्रार्थीगण को 5,000–5.000/– रूपये प्रतिमाह दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे तथा जो भी न्यायोचित सहायता हो वो भी प्रार्थीगण को प्रदान की जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बेसहारा नही है, क्योकि उनके दोनो पुत्र उनके साथ ही निवास करते हैं। वास्तविकता यह है अप्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी करके दुकान खोली थी, जिसमें प्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई राशि नही दी गई थी, तथा अप्रार्थीगण ने अपनी स्वयं की स्वअर्जित कमाई से प्लाट खरीदा है, जो अप्रार्थीगण के नाम से ही चला आ रहा है। प्रार्थीगण ने जिस मकान का हवाला संजय नगर का दिया हुआ है वह पुश्तेनी जायदाद है , जिसमें रहने का अधिकार अप्रार्थीगण को कोपार्सनर की हैसियत से मिला हुआ है प्रार्थीगण के साथ अप्रार्थीगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट गाली गलोच नही की है , बल्कि प्रार्थीगण अपने पुत्र के साथ मकान में स्वच्छन्द, एवं बिना किसी बाधा के निवास क़रते चले आ रहे हैं। अप्रार्थीगण के द्वारा किसी भी कमरे पर जबरन कब्जा नही किया हुआ है, बल्कि वह पूर्व की भॉति आज भी अपने परिवार सहित उक्त कमरो का उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से मकान को छोडकर अन्य जगह पर निवास करने हेतु तैयारी नही की गई है बल्कि ऐन–केन– प्रकारेण अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने हेतु ही यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। यहां पर यह बताना भी अनावश्यक नही होगा कि उक्त मकान से सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के नाम से नही है बल्कि उक्त मकान पूर्वजो की सम्पत्ति है जिसके दस्तावेज कभी बनाये ही नही गये हैं तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के कागजो की सार संभाल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। उक्त स्थान पर निम्न है इसका तात्पर्य क्या है यह अप्रार्थीगण की समझ से बाहर है। क्योकि जब मकान के दस्तावेज ही नही बने तो अप्रार्थीगण द्वारा उनका दुरूपयोग किये जाने का प्रश्न ही कहां से उत्पन्न होता है। जबकि प्रार्थीगण ही फर्जी तरीके से मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रयासरत है, जिन्हें उसमें कामयाबी नही मिलने के कारण उक्त आरोप अप्रार्थीगण के उपर झूठे लगाये गये है। जब प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में यह आलेखित करके आये है कि वह मेहनत मजदूरी करते हैं तो आय का साधन नही होने का प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। मेहनत मजदूरी करके जो भी प्रार्थीगण को आय प्राप्त होती है। वह उनके जीवन यापन का पूर्ण साधन है इस कारण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थीगण , अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार की भरण पोषण राशि को प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने अपने भरण पोषण हेतु जो राशि की मांग की गई वह काफी बढ़ा चढ़ा कर प्राप्त करने की मांग की गयी है। जबकि दूसरे पुत्र बंटी से किसी प्रकार की कोई भरण पोषण राशि की मांग नही की गयी है। प्रार्थीगण जिस मकान का हवाला दे रहे है उक्त मकान काफी जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में था, उसे अप्रार्थीगण ने काफी मेहनत, मजदूरी करके अत्यधिक अपनी स्वअर्जित आय से राशि खर्च करके निवास करने योग्य बनाया है। जिसमें प्रार्थीगण, व अप्रार्थीगण दोनो ही अपने–अपने हिस्सो में स्वच्छन्द रूप से बिना किसी बाधा व रोक–टोक के निवास करते चले आ रहे है। इस कारण से अप्रार्थीगण को उक्त मकान से किसी भी प्रकार से बेदखल करने का प्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किया जावे। एवं अप्रार्थीगण को विशेष हर्जा खर्चा एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी प्रार्थीगण से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थीगण की ओर से दौराने बहस अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया। अप्रार्थीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

उपरोक्तानुसार बाद बहस पत्रावली में निहित दस्तावेजों का अवलोकन एवं बहस में दर्शित तथ्यों पर मनन किया गया जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। चूंकि प्रार्थीगण वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने से प्रार्थीगण अपनी सार–संभाल एवं भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः अप्रार्थी नं0 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपने माता पिता को 4000/– मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः..........30/12/21..........को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा